न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 100/2011

श्री रामेश्वर पुत्र श्री किशनलाल जाति जाट निवासी प्रशासनिक कॉलोनी, अजमेर रोड, केकडी, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार

.....**रेस्पोडेन्ट**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री रामसुख चौधरी वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 05.02.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2065 में श्री रामेश्वर पुत्र श्री किशनलाल जाति जाट निवासी प्रशासनिक कॉलोनी, अजमेर रोड, केकडी, तहसील केकडी, जिला अजमेर ने ग्राम केकडी के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 134X100 वर्गफुट भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार, केकडी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 864/2005 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 05.11.2008 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 05.11.2008 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर ऐतराज दर्ज नही करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होते ही अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नगर पालिका केकडी द्वारा अपीलान्ट को जारी सम्मन क्रमांक 2004–05/5119 दिनांक 23.02.2005 की, प्रति प्रस्तुत कर निवदेन किया गया है कि विवादित भूमि ग्राम नगर पालिका केकडी क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि सिवायचक मे होकर नगर पालिका केकडी के क्षेत्राधिकार की है, इस संबंध में नगर पालिका केकडी से वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। किन्तू अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दू को तय किये बिना आक्षेपीय आदेश को पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वंय आदेशिकाएं

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पारित कर उक्त आदेशिकाओं की अक्षरतः पालना किये बगैर पटवारी हल्का के बयान कलमबद्व किये बिना केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट आधार मानकार आक्षेपीय आदेश पारित किया है। उन्होने कथन किया कि ग्राम केकडी स्थित साबिक खसरा नम्बर 4287 रकबा, 25 बीघा 18 बिस्वा पर पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वज काबिज काश्त चले आ रहे थे एवं वर्तमान में स्वंय अपीलान्ट स्वंय काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा मौके पर बाडा पूर्वजों के समय से बनाया हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से अपनी रिपोर्ट में सवंत् 2062 में बाडा बनाना अंकित किया है जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का भूधारक होने के नाते प्रथम दायित्व था कि वे वाद ग्रस्त आराजी के क्षेत्राधिकार के बिन्दू को तय करते तथा अपीलान्ट का विवादित भूमि पर संवत् 2024 से वर्तमान तक निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के आधार पर प्रकरण को नियमन/आवंटन हेतु अपीलान्ट की पात्रता के संबंध में परीक्षण करवातें। अंत में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम केकडी के खसरा नम्बर 205 में पट्टे जारी होने बाबत कथन किया गया है। अतः अपील पुर्नविचार हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली की आदेशिकाओं में पटवरी हल्का से विवादित भूमि के नगर पालिका केकडी को हस्तान्तरण बाबत रिपोर्ट प्राप्त करने का अंकन किया गया है किन्तू आदेश की पालना करवाया जाना स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका केकडी द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटाने बाबत दिनांक 23.02.2005 को नोटिस जारी किया गया है। तथा नगर पालिका केकडी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक न.पा. के/2007–08/4748 दिनांक 28.02.2008 से विवादित भूमि खसरा नम्बर 205 में से नगरपालिका द्वारा नीलामी के जरिये पट्टे जारी करने तथा भूमि नगर पालिका की सीमा मे स्थित होने बाबत अधिनस्थ न्यायालय को अवगत कराया गया है। किन्तू अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपीय आदेश मे विवादित भूमि के स्वामित्व बाबत पूर्ण विवेचना नहीं की गई है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपील तहसीलदार केकडी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने को समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर नियमों के अंतर्गत पूर्ण विवेचना पश्चात नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक **05.02.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner